Sale of assets of sick companies

2234. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether RBI has decided in principle to set up an agency to undertake sale of assets of sick companies;

(b) if so, the details thereof; and

(c) how far this will provide relief to the BIFR?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) No, Sir. However, the Reserve Bank of India (RBI) has decided to set up a group to examine the issue.

Complaints against Banks

2235. SHRI B.B. DUTTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints about the "collilusive' practice followed by some banks, influential capital market intermediate and 'affluent' share applicant in allotment of shares;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) No Sir. However, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) have received a few complaints/reports about acceptance of share issue applications by a few banks after the date of closure of this issue. SEBI have pursued the matter in such cases with the Reserve Bank of India and also with the concerned bank and lead managers to stop the practice. Share allotments in respect of oversubscribed issues are determined in consultation with the regional stock exchanges with a view to ensuring fair allotment to all investors. The public representatives nominated by SEBI are associated in the finalisation of the basis of allotment of share which is also publicised through advertisements in the news papers.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उठाये गए घाटे

2236. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितना घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन बैंकों को घाटे से उबारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वहन की गई हानियां निम्नानुसार थीं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	हानि उठाने वाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	हानि की राशि
1991-92	173	69.37
1992-93	172	325.75
1993-94	171	382.29 (अनंतिम)

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हानियां होने के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जैसे- हाल तक ग्राहकों के चयन पर प्रतिबंध परिचालन का सीमित क्षेत्र, कम ब्याज मार्जिन, विशेष रूप से राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट के कार्यान्वयन के बाद बढ़ती हुई स्थापना लागत आदि।

(ग) उनकी अर्थक्षमता को सुधारने के लिए दिसम्बर, 1993 में कई उपायों की घोषणा की गई थी, ताकि उनके उधर परिचालनों में अधिक लचीलापन लाया जा सके और उनके सम्बद्ध बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र को व्यापक बनाया जा सके। इन उपायों में ये शामिल हैं गैर-लक्ष्य समूह के वित्तपोषण को 40% से बढ़ाकर 60% करना, गैर-निधि कारोबार में वृद्धि करना। वर्ष 1992-93 के दौरान जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संवितरण 2 करोड़ रुपए से कम था, उन्हें सेवा क्षेत्र की बाध्यताओं से मुक्त करना और हानि उठाने वाली शाखाओं को मंडियों, तालुक/जिला मुख्यालयों, कृषि उत्पाद केन्द्रों जैसे स्थानों पर ले जाने की अनुमति प्रदान करना और उन संस्थाओं के परिसरों